



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-24.11.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मण्डुवाडीह में आबकारी अधिनियम के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0060/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त नन्दू उर्फ बोड़म पुत्र स्व0 जगरनाथ निवासी गोसाई बस्ती शिवदासपुर थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-23.11.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त नन्दू उर्फ बोड़म उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।